भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 631

28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग (एचपीबी)

631. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास मौजूदा भवन अवसंरचना द्वारा कार्बन उत्सर्जन की मात्रा संबंधी कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने देश में विभिन्न आगामी शहरों और कस्बों की योजना बनाते समय हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग (एचपीबी) को शामिल करने के लिए कोई व्यापक ढांचा विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मौजूदा बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा पर डेटा नहीं रखता है।

(ख) भारतीय संविधान की 12 वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/सलाह के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन दिशानिर्देश,(यूआरडीपीएफआई) 2014 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf) जारी किए हैं। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2014 का अध्याय-6 "स्थायी दिशानिर्देश" शहरों में ग्रीन बिल्डिंग, जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील योजना और ग्रीन बफर ज़ोन से संबंधित है। शहरी विकास योजना में पर्यावरण अनुकूल बिल्डिंग बनाने को बढ़ावा देने संबंध दिशानिर्देशों में भवन निष्पादन प्रमाणन और रेटिंग प्रणाली की शुरूआत की गई है।

मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग उपनियम (एमबीबीएल)-2016 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf) भी जारी किया है, जिसमें अध्याय-10 राज्यों द्वारा ग्रीन बिल्डिंग और स्थिरता प्रावधानों को अपनाने से संबंधित है।

*****